न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम आर.ए.एस
मुकदमा नं0 राजस्व प्रकरण 444 / 2017

प्रार्थीगण :-

1. लालाराम पुत्र मोकलाराम
2. मोहबताराम पुत्र मोकलाराम
3. अन्सी बेवा मोकलाराम
जाति मेगवाल निवासी बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1 धीराराम पुत्र वीरमाराम
2 कोहलाराम पुत्र खेताराम
3 लुणाराम पुत्र अखाराम
4 मकका पुत्र अखाराम
5 रेवताराम पुत्र अखाराम फौत के कायम मुकाम
5 / 1 पिपली पुत्री रेवन्ताराम
6 पुनाराम पुत्र अखाराम
7 पालु पत्नि अखाराम
8 राजनी पत्नि अजबाराम जाति मेगवाल निवासी बायतु पनजी
9 मेराराम पुत्र मुलाराम
10 जीयाराम पुत्र सुखाराम
11 मुराराम पुत्र पुजाराम
12 नरूराम पुत्र पुजाराम
13 कुपाराम पुत्र पुजाराम
14 सवाईराम पुत्र खीमाराम
15 राजु पुत्र खीमाराम
16 पुनी पत्नि खीमाराम
17 भाखरराम पुत्र मेराराम
18 मोग्वी पत्नि मेराराम जाति राईका निवासी जोगासर बायुत भोपजी
19 दीपसिंह पुत्र उमसिंह
20 तारकवर पत्नि शिवसिंह जाति राजपुत
21 गाजन पुत्र फताराम
22 अलसा पुत्र हिमथाराम
23 मगाराम पुत्र हिमथाराम जाति जाट निवासी मेकरणा पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :- 1. श्री अन्नाराम सारण व श्री रिणछाराम सियाग वकील

'आदेश'

दिनांक :- 20.12.2017

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम मेकरना,पटवार क्षेत्र पोलसोढा भू0अ0नि0 तिलवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा न0 153/51 रकबा 17.10 बीघा मे विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 23 की खातेदारी भूमि आई हुई है जिससे विप्रार्थीगण सं. 1 ता 23 खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 4.08.2017 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 23 सम्मन बाद तामिल के बावूजद अनुपस्थित अतः उक्त के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाइश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापंक भू0निरीक्षक तिलवाडा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner